



**ICSI INITIATIVES**

**I. REVAMPED TRAINING STRUCTURE TO FOCUS ON SKILL BASED TRAINING**

Company Secretaries Regulation 1982 has been amended through Company Secretaries (Amendment) Regulations, 2020 to strengthen the process of becoming a Company Secretary. The amended regulation aims to equip and develop members and students of the Institute with requisite knowledge and skills to meet the expectations of the industry, regulators and other stakeholders.

कंपनी सेक्रेटरी रेग्युलेशन 1982 में कंपनी सेक्रेटरी (अमेंडमेंट) रेगुलेशन, 2020 के माध्यम से कंपनी सेक्रेटरी बनने की प्रक्रिया मजबूत करने के लिए संशोधन किया गया है। रेगुलेशन संशोधित करने का मुख्य उद्देश्य संस्थान के सदस्यों को उद्योग, नियामकों और अन्य हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ तैयार करना है। इन रेगुलेशन के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किये गए है जिनमे मुख्य है

1. **Practical & Skill Based Training**

The new training structure for students, comprises of 24 months training which shall provide them with a platform to develop their core competencies and harness their soft skills including managerial and leadership capabilities. Executive passed students are required to undergo:

* 1. One month Executive Development Programme (EDP) to equip them with necessary soft and IT skills.
	2. 21 month practical training, with Industry/Practicing Company Secretary.
	3. One to Two Months Corporate Leadership Development Program (CLDP) is the last stage of training for students who have passed the Professional Programme and have completed the practical training, to further enhance their communication, legal, managerial and IT skills required for Company Secretary Profession.

**व्यावहारिक और कौशल पर आधारित प्रशिक्षण देने की दिशा में आगे बढ़ते हुए ICSI ने स्टूडेंट्स के लिए होनेवाली अनिवार्य ट्रेनिंग में बदलाव किये है ।**

**इंस्टिट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष,सीएस आशीष गर्ग** ने नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हुए कहा की “रेगुलेशन संशोधित करने से संस्थान अपने विजन और मिशन के अनुरूप स्टूडेंट को डेवलप कर पायेगा। आज के बदलतेहुए युग में प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत जरुरी है। एक भावी कंपनी सचिव को कम्युनिकेशन और व्यावसायिक कौशल, कानूनी कौशल,प्रबंधन कौशल और आईटी कौशल में पारंगत होना बहुत जरुरी है। इन सभी कुशलताओं को ध्यान में रखते हुए ही नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को लागु किया गया है।
इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य कंपनी सचिव बनने वाले छात्रों को उद्योग,नियामकों और अन्यहितधारकों की जरुरत के हिसाब से अपेक्षित ज्ञान और कौशल के साथ विकसित करना है।

**छात्रों के लिए नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर 24 महीने का होगा जो की इस प्रकार है :-**

a. एक महीने की अवधि का कार्यकारी विकास कार्यक्रम (EDP) जिसमे सॉफ्ट स्किल्स एवं आईटी स्किल्स पर प्रशिक्षण होगा । इसमें 15 दिन की ट्रेनिंग ऑफलाइन होगी एवं बाकि 15 दिन की ट्रेनिंग ऑनलाइन माध्यम से होगी।

b. किसी इंडस्ट्री या कंपनी में या प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव के साथ 21 महीने की अवधि के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण (प्रैक्टिकल ट्रेनिंग)।

c. कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम (CLDP) छात्रों के लिए प्रशिक्षण का अंतिम चरण होगा जिसमे वो स्टूडेंट भाग ले सकेंगे जिन्होंने प्रोफेशनल पास किया है और प्रशिक्षण पूरा किया है, यह ट्रेनिंग एक से दो महीने की अवधि के लिए एक आवासीय ट्रेनिंग होगी जो की केवल संस्थान के चार ट्रेनिंग केन्द्रो जिनमे CCGRT-मुंबई , सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस हैदराबाद , CERT-मानेसर एवं कोलकाता में होगी जिसमे कम्युनिकेशन, कानूनी, प्रबंधकीय और आईटी कौशल जो की एक कंपनी सचिव पेशे के लिए आवश्यक है पर बेस्ड होगी।

1. **Introduction of Company Secretary Executive Entrance Test (CSEET)**

To test the aptitude of the candidates required for the profession of Company Secretaries, Company Secretary Executive Entrance Test (CSEET) has been introduced as the qualifying test for registration to Executive Programme. The entrance test which includes a Computer Based Test (CBT) and an Online Viva-Voce is the first level of Company Secretaryship Course. CSEET has been introduced keeping in view the diverse academic standards of students seeking admission in the Company Secretary Course, to attract meritorious students and to test their aptitude for the Company Secretary profession.

**सीएस फाउंडेशन की जगह अब सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) होगा।**
CSEET पास करने के बाद ही छात्र सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स में एडमिशन ले सकता है।  यह टेस्ट हर साल 4 बार (जनवरी /मई/जुलाई एवं नवंबर ) में आयोजित किया जायेगा। CSEET कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा एवं इसमें चार पेपर होंगे।  इसको पास करने के लिए प्रत्येक पेपर में 40 प्रतिशत एवं ओवरआल 50 प्रतिशत मार्क्स लाना जरुरी होगा।   सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) प्रवेश परीक्षा यह सुनिश्चित करेगी कि छात्रों के पास सीएस कोर्स में आगे बढ़ने और सफल होने के लिए योग्यता और कौशल का अपेक्षित स्तर है।
यह चार पार्ट में है जो की इस प्रकार है :-

a) Part 1: Business Communication (35 Questions of 50 Marks)
b) Part 2: Legal Aptitude & Logical Reasoning (35 Questions of 50 Marks)
c) Part  3: Economic and Business Environment (35 Questions of 50 Marks)
d) Part 4: Current Affairs, Presentation and Communication Skills –Viva Voice (50 Marks)

पार्ट -4 में जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा एवं प्रेजेंटेशन एवं कम्युनिकेशन स्किल्स - विवा वौइस् (Viva Voice) पर आधारित होगा 15 मिनट एवं 30 मार्क्स का होगा जो की रिकार्डेड वीडियोस के माध्यम से आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस तकनीक के द्वारा लिया जायेगा। CSEET संस्थान के ऑनलाइन एग्जाम सेंटर्स पर होगी।

CSEET में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। फाउंडेशन कोर्स में जो छात्र पहले से रजिस्टर्ड है उनके लिए पुराना पैटर्न उनके रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी तक जारी रहेगा। सीए एवं सीएमए फाइनल पास छात्रों को CSEET नहीं देना होगा। वह सीधे सीएस एग्जीक्यूटिव में प्रवेश ले सकेंगे।

1. **Reforms in Examination**

To provide to the students ease in undertaking the examination, the ICSI has decided to modify the examination schedule from December, 2019 session onwards wherein for the CS Executive Programme one paper of Module-I shall be followed by one paper of Module-II. Similarly, for the CS Professional Programme, one paper of Module-I shall be followed by one paper of Module-II and one paper of Module-III, and the cycle shall be further repeated across the entire schedule.

**सीएस एक्ज़ीक्यूटिव एवं प्रोफेशनल परीक्षा अब अंतराल में होगी।**

सीएस इंस्टिट्यूट की केंद्रीय परिषद् ने छात्रों को परीक्षा में आसानी देने के लिए एग्जाम के कार्यक्रम को संशोधित करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में सीएस की परीक्षाएं जून एवं दिसंबर में एक साथ होती हे एवं जिसमे हर रोज ग्रुप वाइज एक पेपर होता हे। सीएस एग्जीक्यूटिव में मॉड्यूल- I के बाद मॉड्यूल II का एक पेपर होगा और इसी तरह पुरे पैटर्न का अनुसरण किया जायेगा । इससे ग्रुप वाइज एग्जाम देने वाले छात्रों को एक दिन का अंतराल मिल सकेगा।

वही सीएस प्रोफेशनल में वर्तमान में तीनो ग्रुप के पेपर जो लगातार होते थे अब पइसी तरह, सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए, मॉड्यूल- I का एक पेपर होगा इसके बाद मॉड्यूल- II का एक पेपर और मॉड्यूल- III का एक पेपर और इसी तरह पूरे कार्यक्रम के दौरान दोहराया जाएगा। इससे ग्रुप वाइज एग्जाम देने वाले छात्रों को दो दिन का अंतराल मिल सकेगा।

**II. RECENT RECOGNITIONS**

1. **Arbitration Law Recognition**

The Ministry of Law and Justice has included Company Secretaries in the list of qualifications at par with other professionals in the Eighth Schedule of the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2019 which was passed by the Rajya Sabha on 18th July, 2019. Company Secretaries having 10 years of experience in practice have been recognised to become an Arbitrator under Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019.

**आर्बिट्रेशन एंड कनसिलिएशन (संशोधन) अधिनियम, 2019 में सीएस को मध्यस्थ के रूप में मान्यता**

विधि और न्याय मंत्रालय ने कंपनी सचिवों को अर्हता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019 (आर्बिट्रेशन एंड कनसिलिएशन (संशोधन) अधिनियम, 2019) की आठवीं अनुसूची में अन्य पेशेवरों के साथ योग्यता की सूची में सीएस को भी शामिल किया है । जो कंपनी सचिव 10 साल का अनुभव रखते है वह आर्बिट्रेशन एंड कनसिलिएशन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत अब मध्यस्थ का कार्य करने के लिए अधिकृत है।

1. **Recognition by NSDL and CDSL**

Both the depositories, the National Securities Depository limited (NSDL) and Central Depository Services Limited (CDSL) has authorised Company Secretary in Practice (PCS) to issue Networth Certificate to be submitted by the issuers at the time of admitting securities in NSDL and CDSL.

**एनएसडीएल और सीडीएसएल द्वारा सीएस को मान्यता**

देश के दोनों डिपॉजिटरी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) ने कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस (PCS) को NSDL और CDSL में सिक्योरिटीज को एडमिट करने के समय नेटवर्थ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अधिकृत किया है।

1. **Secretarial Audit for Private Companies**

As per the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Amendment Rules, 2020, every company having outstanding loans or borrowings from banks or public financial institutions of one hundred crore rupees or more, shall annex with its Board’s report a secretarial audit report, given by a Company Secretary in practice.

**निजी कंपनियों के लिए सेक्रेटेरियल ऑडिट**

कम्पनीज (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2020 के अनुसार, बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक के बकाया ऋण या उधार लेने वाली प्रत्येक कंपनी को अपने बोर्ड की रिपोर्ट के साथ किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्रमाणित सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करनी होगी ।

**III. PROMOTING SELF GOVERNANCE**

1. **UDIN**

The ICSI UDIN or Unique Document Identification Number is a system generated alpha numeric number which provides ease of maintaining the Register of Attestation/ Certification services rendered by practicing members. While preventing counterfeiting of attestations/ certifications, UDIN shall also ensure compliance of the Guidelines issued by the Institute with respect to ceilings on the number of certification / attestation services.

**ICSI विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (UDIN)**

स्व-प्रशासन की उच्च समझ को आगे बढ़ाने और कंपनी सचिवों के प्रैक्टिसिंग पक्ष को मजबूत करने के प्रयास में, ICSI ने विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या यानि यूडीआईएन के रूप में एक अनूठी पहल शुरू की है। इसके अनुसार प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा सत्यापित सभी दस्तावेज एक विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या से ही जारी होंगे।

UDIN का मुख्य उद्देश्य पंजीकरण / प्रमाणन सेवाओं के रजिस्टर को बनाए रखने में आसानी प्रदान करना एवं विभिन्न सत्यापन / प्रमाणपत्रों के जालसाजी को रोकना सुनिश्चित करेगा । इससे हितधारकों और नियामकों को प्रैक्टिस में कंपनी सचिवों द्वारा हस्ताक्षरित या प्रमाणित दस्तावेजों की वास्तविकता को सत्यापित जानने में भी मदद मिलेगी

1. **eCSin**

With the intent of monitoring the appointment and cessation of a Company Secretary in employment, ICSI has launched Employment Specific Unique Identification Number of a Company Secretary (eCSin).

eCSin shall be a random system generated alphanumeric number, generated at the time of appointment as well as at the time of demitting office. The main objective of eCSin is to bring greater transparency, ensure better governance and facilitate verification of authenticity of employment.

ICSI ने कंपनी सचिव जो की एम्प्लॉयमेंट में हे उनके लिए (eCSin) की रोजगार विशिष्ट विशिष्ट पहचान संख्या शुरू की है। eCSin एक ऑनलाइन अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या होगी, जो सीएस की नियुक्ति के समय और साथ ही साथ पदत्याग के समय उपयोग की जा सकती है । ECSin का मुख्य उद्देश्य अधिक कंपनी सचिव की कंपनियों में नियुक्ति एवं पदत्याग की निगरानी को सुनिश्चित करना है ।

1. **Strengthening Peer Review Mechanism**

In order to phase-in Peer Review gradually, the ICSI has not only affixed the Ceiling on number of Annual Secretarial Compliance Reports to be issued by PCS but has also decided to mandate undertaking of such reporting by Peer Reviewed Members only.

कंपनी सेक्रेटरीज के वर्किंग सिस्टम को और मजबूत बनाने की दिशा में ICSIई ने पीसीएस द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट की संख्या को सिमित करने का निर्णय लिया है , एवं पीयर रिव्यू मेंबर्स द्वारा इस तरह की रिपोर्टिंग को अनिवार्य करने का भी निर्णय लिया है।

**IV. INTERNATIONAL FOOTPRINTS**

1. **ICSI Middle East (DIFC) NPIO at Dubai, UAE**

The ICSI incorporated ICSI Middle East (DIFC) NPIO (NPIO) as a Non Profit Incorporated Organisation under the Non Profit Incorporated Organisation Law, DIFC Law No. 6 of 2012 of Dubai on September 24, 2019. The NPIO was inaugurated on December 10, 2019 at Roda Al Murooj, Financial Centre Road, Dubai, United Arab Emirates (UAE). The presence of ICSI in UAE will go a long way in strengthening the global outreach of the Institute and will pave way for expanding the dimensions of Corporate Governance in the MENA (Middle East and North Africa) region.

1. **ICSI Overseas Centre, USA**

The Institute has set up its Overseas Centre at New York, USA.The Centre will act as facilitation Centre of the Institute. It will strengthen the global outreach of the profession and facilitate the students and members residing in USA in advancing their academic acumen, capacity building and in turn better professional and placement opportunities. The presence of this facilitation Centre of ICSI will pave way for expanding the dimensions of corporate governance in USA.

With a view to continue its expansion globally, ICSI intends to open Overseas Centre in Canada, United Kingdom, Australia, Singapore and African Coutnries in the year 2020.

वैश्विक स्तर पर अपने विस्तार को जारी रखने के उद्देश्य से, ICSI ने हाल ही में यूनाइटेड स्टेट एवं दुबई में अपने ओवरसीज सेंटर खोले है। ICSI का इरादा वर्ष 2020 में कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एवं एक अफ्रीकन देश में भी नए ओवरसीज सेंटर खोलने का है।

1. **ICSI - CSIA International Conference**

The ICSI hosted the Council Meeting of Corporate Secretaries International Association limited (CSIA) on 9-10 September 2019, where CS Ranjeet Pandey, Immediate past President ICSI, was unanimously elected as Vice-President of CSIA for the year 2020**.**

द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज इंटरनेशनल एसोसिएशन लिमिटेड (CSIA) के साथ हाल ही में नई दिल्ली में "री-डिफाइनिंग ग्लोबल गवर्नेंस-डॉन ऑफ ए न्यू एरा" थीम पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। CSIA हांगकांग में स्थित पेशेवर निकायों का एक अंतरराष्ट्रीय महासंघ है, जो चौदह कॉर्पोरेट सचिव संस्थानों का प्रतिनिधित्व करता है; ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश; ब्राजील; कनाडा; हॉगकॉग; इंडिया; केन्या; लंडन; मलेशिया; नाइजीरिया; सिंगापुर; दक्षिणी अफ्रीका; अमेरीका; ज़िम्बाब्वे है। CSIA में CS रणजीत पांडे, पूर्व अध्यक्ष ICSI, को सर्वसम्मति से वर्ष 2020 के लिए CSIA के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है ।

1. **MACS adopts ICSI Secretarial Standards**

Malaysian Association of Company Secretaries has approved the adoption of Secretarial Standards formulated by ICSI and approved by the Government of India under sub-section (10) of Section118 of the Companies Act, 2013, for the purpose of benchmarking MACS’s own Standards.

अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन की सुविधा के उद्देश्य से, ICSIई ने एकरूपता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेटों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले विविध सचिवीय प्रथाओं को एकीकृत, सामंजस्य और मानकीकृत करने के लिए चार (4) सचिवीय मानक जारी किए हैं। इनमें से,

(एसएस -1)-निदेशक मंडल की बैठक में सचिवीय मानक

 (एसएस -2) और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक

एसएस -1 एवं एसएस -2 दोनों को केंद्र सरकार (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) द्वारा अनुमोदित किया गया हैं और एवं कंपनियों में अनुपालन के लिए अनिवार्य किया हैं।

लाभांश पर पर सचिवीय मानक (एसएस -३) और निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर सचिवीय मानक (एसएस -४) कंपनियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से अनुपालन करने के लिए जारी किये गए हैं। सचिवीय मानकों के पालन की सुविधा के लिए, ICSI ने SS-1, SS-2, SS-3 और SS-4 पर मार्गदर्शन नोट भी जारी किया है।

**V. CAPACITY BUILDING FOR MEMBERS**

1. **Certificate Course on Arbitration, Mediation and Conciliation**

Company Secretaries having 10 years of experience in practice have been recognized to become an Arbitrator under the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019.  With the objective of capacity building of ICSI members, the ICSI is associating with the IMC International ADR Centre, Mumbai as well as with National Law School of India University (NLSIU), Bengaluru for conducting joint certificate course on Arbitration, Mediation and Conciliation.

10 साल का अनुभव रखने वाले कंपनी सचिवों को मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत एक मध्यस्थ बनने के लिए मान्यता दी गई है। ICSI सदस्यों के क्षमता निर्माण के उद्देश्य से, ICSI IMC इंटरनेशनल ADR सेंटर, मुंबई एवं आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता और सुलह पर संयुक्त सर्टिफिकेट कोर्स संचालित करने के लिए नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरु के साथ के साथ जुड़ रहा है।

1. **Certificate Course on Forensic Audit**

The Institute has launched the Certificate Course on Forensic Audit in association with KPMG. The objective of this course is to acquaint ICSI members and students in the Forensic audit domain considering the increase in financial frauds. This will also help the professionals who have been working in related domains.

ICSI ने केपीएमजी के साथ मिलकर फोरेंसिक ऑडिट पर सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी में वृद्धि पर विचार करते हुए फोरेंसिक ऑडिट डोमेन में ICSIई सदस्यों और छात्रों को परिचित कराना है। यह उन पेशेवरों की भी मदद करेगा जो संबंधित क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

1. **Certificate Course on Start-ups**

ICSI and Startup India launched a joint Certificate programme on Capacity Building to Support Startup Ecosystem. The course will equip the members with specific knowledge of all legal provisions relating to startups and also familiarize them with emotions attached to startup culture and startup ecosystems trends.

ICSI और स्टार्टअप इंडिया ने स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिएता स्किल्स डेवलपमेंट पर एक संयुक्त प्रमाणपत्र कार्यक्रम शुरू किया। यह पाठ्यक्रम सदस्यों को स्टार्टअप से संबंधित सभी कानूनी प्रावधानों के विशिष्ट ज्ञान से लैस करेगा और उन्हें स्टार्टअप कल्चर और स्टार्टअप इकोसिस्टम ट्रेंड से जुड़ी जानकारियों से भी परिचित कराएगा।

1. **Certificate Course on Artificial Intelligence**

ICSI in association with IBM is conducting the Certificate Course on Artificial Intelligence for Business Insights. This Course is a Foundation level course aimed at building awareness around the concepts of Data Analytics and Artificial Intelligence.

Members of ICSI and students who have cleared the Professional Programme would be eligible to apply for the course.

ICSI ने आईबीएम के साथ मिलकर बिजनेस इनसाइट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सर्टिफिकेट कोर्स लांच किया है । यह कोर्स डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणाओं के बारे में जागरूकता बनाने के उद्देश्य से एक फाउंडेशन स्तर का पाठ्यक्रम है। इसमें ICSI के सदस्य और प्रोफेशनल पास छात्र आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

**VI. INITIATIVES FOR STUDENTS**

1. **International Commerce Olympiad – MoU with Science Olympiad Foundation**

In an attempt to create awareness about the profession of Company Secretaries among school Students, the Institute has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Science Olympiad Foundation for conducting International Commerce Olympiad recently.

सीएस का कॉमर्स ओलंपियाड संस्थान की एक ऐसी पहल है जो हजारों स्कूलों और छात्रों के बीच कंपनी सचिवों के पेशे के बारे में जागरूकता पैदा करने का काम करती है। इसके लिए हल ही में साइंस ओलिंपियाड फाउंडेशन के साथ एमओयू किया गया है।

1. **Study Centre Scheme**

To break the distance barriers and provide better facilities to the students ICSI has over 100 Study Centres across the Country covering remote places including Lakshadweep, Andaman & Nicobar Islands, North Eastern States and Puducherry.

छात्रों को लोकल लेवल पर सीएस कोर्स की आधारभूत सुविधाएं जैसे पंजीकरण, कोचिंग , लाइब्रेरी आदि प्रदान करने के लिए संस्थान करीब 107 अध्ययन केंद्र देशभर में खोल चूका हे जो की दूरदराज के क्षेत्रों को कवर कर रहे हे।

1. **All India Online Company Law Quiz**

The Institute has been conducting All India Company Law Quiz for the last several years. The format of the competition is being changed this year to enhance the participation levels and the competitive spirit among the students an online Company law quiz is being conducted this year in three levels. The objective of this competition is to enhance the knowledge level of students in Company Law and allied areas and to generate interest among the students for in-depth study of the subject including greater conceptual clarity. All students of the Institute having a valid registration number as on the date of registration for competition shall be eligible to participate in the competition.

संस्थान पिछले कई वर्षों से ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज़ का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष भागीदारी के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता के प्रारूप को बदला गया है जिसमे छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धी भावना को एक ऑनलाइन कंपनी कानून प्रश्नोत्तरी के रूप में तीन स्तरों में आयोजित किया जा रहा है।

इस प्रतियोगिता का उद्देश्य कंपनी कानून और संबद्ध क्षेत्रों में छात्रों के ज्ञान के स्तर को बढ़ाना और अधिक से अधिक वैचारिक स्पष्टता सहित विषय के गहन अध्ययन के लिए छात्रों के बीच रुचि पैदा करना है।

1. **ICSI Students Education Fund Trust**

The Institute has created ‘ICSI Students Education Fund Trust’ to encourage and motivate academically bright but economically backward students to pursue CS Course thus contributing to the objectives of nation building and social responsibility.

संस्थान ने आर्थिक रूप से पिछड़े और शैक्षणिक रूप से उज्ज्वल छात्रों को मदद करने के लिए ICSIई स्टूडेंट्स एजुकेशन फंड ट्रस्ट ’बनाया है जो शून्य लागत पर आर्थिक रूप से जरूरतमंद और अकादमिक रूप से उज्ज्वल छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आर्थिक रूप से मदद करता हे इससे राष्ट्र निर्माण और सामाजिक जिम्मेदारी के उद्देश्यों में योगदान देता है।

1. **ICSI Signature Award Scheme**

Under the ICSI Signature Award Scheme, top rank holders in B.Com. and other specialized programmes/ papers of IITs / IIMs are awarded a Gold Medal and a Certificate.

As on date, under the ICSI Signature Award initiative, 33 Universities have associated with ICSI. Twenty three (23) Gold Medals have been awarded under this scheme. Recently ICSI Signature Award Gold medal was presented to Toppers of the B.Com Course of Punjab University at Chandigarh and   Pt. Ravi Shankar Shukla University at Raipur, Chhattisgarh

ICSI सिग्नेचर अवार्ड योजना के तहत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर में शीर्ष रैंक धारक को गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाता है। आज तक, ICSI सिग्नेचर अवार्ड पहल के तहत, 33 विश्वविद्यालयों ने ICSI से संबद्धता प्राप्त की है। इस योजना के तहत तेईस (23) स्वर्ण पदक प्रदान किए गए हैं।

1. **Library and Reading Room Facilities in collaboration with Universities and Management Colleges**

As an inititive to provide library services to its Members and Students All over India, The ICSI has forayed into a tieup with 54 renowed Univeristies and Colleges of India for gaining access to library/Reading Room Facilities.

पूरे भारत में अपने सदस्यों और छात्रों को पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करने के लिए आईसीएसआई ने देशभर के 54 नामी विश्वविद्यालय और कॉलेज के साथ एक समझौता किया है जिसमे की छात्रों को उस जगह की लाइब्रेरी / रीडिंग रूम की सुविधाएं मिल सकें ।

**VII. DIGITAL INITIATIVES**

1. **Placement Portal**

The Placement Portal is a dynamic platform that saves time and effort and brings credibility in the placement process. The Portal aims to connect candidates to employers and help match them create synergies. The portal shall increase placement and training opportunities for both the members and students.

प्लेसमेंट पोर्टल एक डिजिटल मंच है जो समय और प्रयास को बचाता है और प्लेसमेंट प्रक्रिया में विश्वसनीयता लाता है। पोर्टल का उद्देश्य उम्मीदवारों को नियोक्ताओं से जोड़ना और उन्हें तालमेल बनाने में मदद करना है। पोर्टल सदस्यों और छात्रों दोनों के लिए नियुक्ति और प्रशिक्षण के अवसरों को बढ़ाएगा।

1. **ICSI PCS Portal**

The ICSI PCS Portal attempts to bridge the gap between Company Secretaries in Practice with their vast and unique skill set to be easily found by the corporates in need of their specialised services. The Portal provides stakeholders with a ‘skill based search’ and a ‘name based search’ to assist corporates looking for professionals as per their needs.

ICSI पीसीएस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य पेशेवर कंपनी सचिव एवं कॉर्पोरेट के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करता है। यह पोर्टल कौशल आधारित खोज ’और नाम आधारित खोज’ के फीचर के साथ हितधारकों को उनकी जरूरतों के अनुसार पेशेवरों की तलाश करने वाले कॉर्पोरेट्स को सहायता प्रदान करता है।

1. **ICSI Digilocker**

Digilocker is a platform for issuance and verification of documents & certificates digitally, to promote paperless governance. ICSI has successfully initiated a pilot project with the National e-Governance Division (NeGD), for generating Identity Cards for its members. Through DigiLocker ICSI members can access their digital documents anytime, anywhere and share it online.

डिजिलॉकर, कागज रहित शासन को बढ़ावा देने के लिए दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को डिजिटल रूप से जारी करने और सत्यापन के लिए एक मंच है। ICSI ने अपने सदस्यों के लिए पहचान पत्र बनाने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक शुरू किया है। DigiLocker के माध्यम से ICSI सदस्य अपने डिजिटल दस्तावेजों को कभी भी, कहीं भी और ऑनलाइन साझा कर सकते हैं।

**VIII. SOCIAL INITIATIVES**

1. **Concession in Fee for Registration to CSEET and CS Course**

The Institute as a part of of its social responsibility initiatives has launched 100% fee waiver scheme for students registering for Foundation and Executive Programme Stages of CS Course belonging to Jammu & Kashmir (UT), Ladakh (UT) and 50% concession in Fees for the students of Andaman & Nicobar Islands (UT), Lakshwadeep (UT), North Eastern States (7 Sisters + Sikkim) from 1st September, 2019 and Himachal Pradesh from 1st January 2020.

भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए बड़ी पहल की है। भारत सरकार की विभिन्न क्षेत्रों के लोगो के लिए तक विकास का लाभ पहुंचाने लिए कई योजनाए शुरू की है। सरकार की इस पहल में सहयोग करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने जम्मू - कश्मीर (UT) एवं लद्दाख (UT) के छात्रों के लिए एक विशेष शुल्क माफी योजना शुरू की है।

ICSI की परिषद ने अपनी हालिया बैठक में CSEET और सीएस एग्जीक्यूटिव कार्यक्रम में पंजीकरण के लिए जम्मू और कश्मीर और लद्दाख से संबंधित छात्रों के लिए 100% शुल्क माफी प्रदान करने की मंजूरी दी। योजना 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगी। इससे इन क्षेत्रों के छात्रों को प्रमुख प्रबंधकीय पदों पर काम करने एवं उनकी आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी ।

1. **Single Use Plastic Free ICSI – Sankalp Se Siddhi**

The contemporary deliberations in global scenario have of late been centered around one of the most pressing issues impacting the world. Once considered a technological breakthrough, plastic today has become a global menace. It is to address this issue and resolve the concerns, The ICSI has stepped up to the responsibility and is intending to contribute its bit through the Single Use Plastic Free ICSI Initiative – A step towards clean and green ICSI

**संकल्प से सिद्धि - सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री ICSI**

ICSI के स्थापना दिवस इच्छित लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता का पुनर्जागरण और एक स्थायी राष्ट्र के निर्माण और समाज और हितधारकों की अभूतपूर्व तरीके से सेवा करने का दिन था।

इस के अनुसरण में और नए भारत की थीम @ 75 - संकल्प से सिद्धि के तहत, ICSIई ने सामाजिक जिम्मेदारी के लिए एक कदम और बढ़ाया है और 'एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त भारत' के राष्ट्रीय मिशन में प्लास्टिक मुक्त ICSIई की पहल को पुरे देश के सीएस ऑफिसेस में लागु किया गया है ।

1. **Installation of Solar Panels at ICSI Offices**

The Institute in an attempt to play its role in promoting renewable energy has initiated the installation of On-Grid Roof top Solar Power System at various ICSI buildings. The implementation of Roof Top Solar Power System at Institute’s Pan India Own premises having roof-tops (in phased manner), which will generate approximately 350 KW (.35 MW) Solar power began at The Institute’s Headquarters building at Lodi Road, New Delhi on pilot basis. Two other Systems have been inaugurated at the Bhilwara and Jaipur Chapter of ICSI.

संस्थान ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाने के प्रयास में अपने ICSIई भवनों में ऑन-ग्रिड रूफ टॉप सोलर पावर सिस्टम स्थापित करने की पहल की है।

*Preeti Kaushik Banerjee*

*Director, Branding, Public Relations & Corporate Communication*

*Ph: 011-45341022,* *preeti.banerjee@icsi.edu*

**About ICSI**

The Institute of Company Secretaries of India (ICSI) is a premier professional body set up under an Act of Parliament, i.e., Company Secretaries Act, 1980, for the regulation and development of the profession of Company Secretaries in India. It functions under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs, Government of India. The Institute, being a pro-active body, focuses on best and top-quality education to students of Company Secretaries Course and best quality set standards for CS members. The institute has over 62,000 members and about 3.5 lakh students on its roll.